रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2009/भाद्र 4, 1931

No. 1336] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2009/BHADRA 4, 1931

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2009

का.आ. 2182(अ).—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 35 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किस्म के प्रत्येक अभिजनक, अभिकर्ता और उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली वार्षिक फीस अधिसूचित करता है। वार्षिक फीस इस प्रकार होगी :—

1. अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट वर्तमान किस्म और कृषकों के किस्म से भिन्न किसी किस्म के वंश और जातियों के लिए वार्षिक फीस 2000 रु. (दो हजार रुपये) धन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीजों के विक्रय मूल्य का 0.2 प्रतिशत धन रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीजों के विक्रय आगमों से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त रायॅल्टी, यदि कोई है, का एक प्रतिशत होगा।

2. वर्तमान किस्म के लिए वार्षिक फीस निम्नलिखित होगी,—

(क) बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 के अधीन अधिसूचित वर्तमान किस्म के लिए वार्षिक फीस 2000 रु. (दो हजार रुपये केवल) होगी;

(ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से भिन्न वर्तमान किस्म के लिए वार्षिक फीस 2000 रु. (दो हजार रुपये) धन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान रजिस्ट्रकृत किस्म के बीजों के विक्रय मूल्य का 0.1 प्रतिशत धन रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीजों के विक्रय आगमों से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त रायॅल्टी, यदि कोई है, का 0.5 प्रतिशत होगा ।

टिप्पण:—वार्षिक फीस के अवधारण के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीज के विक्रय मूल्य और रजिस्ट्रीकृत किस्म के बीज के विक्रय आगमों से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त रायॅल्टी, यदि कोई हो, से संबंधित रजिस्ट्रीकृत अभिजनक या अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई और प्राधिकरण द्वारा सत्यापित घोषणा विचार में ली जाएगी ।

[फा. सं. 1-3/2008-एस डी-V]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2009

S.O. 2182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby notifies the annual fee to be paid by every breeder of a variety, agent and licensee thereof registered under the said Act. The annual fee shall be as follows:—

1. The annual fee for any variety of the genera and species other than extant varieties and farmers' varieties as specified in clause (a) of section 14 of the Act shall be Rs. 2000 (Rupees two thousand only) plus 0.2 per cent of the sales value of the seeds of the registered variety during the previous year plus 1 per cent of royalty, if any, received during the previous year from the sale proceeds of seeds of the registered variety.

2. The annual fee for the extant variety shall be, —

(a) for extant variety notified under Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the annual fee shall be Rs. 2000 (Rupees two thousand only);

(b) for extant variety other than the category specified in (a) above, the annual fee shall be Rs. 2000 (Rupees two thousand only) plus 0.1 per cent of the sales value of the seeds of the registered variety during the previous year plus 0.5 per cent of the royalty, if any, received during the previous year from the sale proceeds of seeds of the registered variety.

Note.— For the purpose of determination of annual fee the declaration given by the registered breeder or agent or licensee, regarding the sales value of the seed of the variety registered under the Act during the previous year and royalty, if any, received during the previous year from the sale proceeds of the seed of the registered variety and verified by the Authority shall be taken into consideration.

[F. No. 1-3/2008-SD-V]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

indiacode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.